<u>भारत के राजपत्र के भाग-I खंड I- असाधारण में प्रकाशन हेतु</u>

फ.स. 6/43/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: २४ दिसंबर 2024

<u>जाचं शुरुआत अधिसूचना</u>

<u>मामला संख्या- एडी (ओआई) - 40/2024</u>

विषय: <u>चीन जन. गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए "तरलीकृत प्राकृतिक गैस ईंधन टैंक (एलएफटी)" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।</u>

1. **<u>फ.स. 6/43/2024 -डीजीटीआर</u>**: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस ईंधन टैंक' (एलएफटी) (इसके बाद इसे 'विषय वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' कहा गया है) जो चीन जन. गण में उत्पन्न या वहा से निर्यात किया जाता है (इसके बाद इसे 'विषय देश' के रूप में संदर्भित किया गया है) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति और भौतिक मंदता हो रही है और उसने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. **<u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस ईंधन टैंक' है, जिसे 'तरल ईंधन टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी जाना जाता है। एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस ईंधन टैंक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (विशेष रूप से मीथेन गैस) के लिए एक डबल दीवार क्रायोजेनिक भंडारण टैंक है।

<u>माप की इकाई</u>

4. उत्पाद टुकड़ों (संख्याओं) में कारोबार किया जाता है। इसलिए, संख्या/टुकड़े को माप की इकाई माना गया है।

<u>उपयोग</u>

5. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग उनमें निहित तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वे सरल शब्दों में, सुपरइन्सुलेशन के साथ डबल दीवार वाले वैक्यूम सिलेंडर हैं जो उनके अंदर ईंधन ले जाने के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं जिनका उपयोग ट्रकों जैसे वाणिज्यिक वाहनों में दहन के लिए किया जाता है। उनके एक छोर पर हीट एक्सचेंजर कॉइल होता है जिसका उपयोग तरल ईंधन को वाष्प में वाष्पीकृत करने के लिए किया जाता है ताकि यह इंजन तक आसानी से पहुंच जाए और दहन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह उत्पाद 16 बार से 24 बार प्रेशर रेटिंग पर 200 लीटर से 990 लीटर तक की क्षमता में आता है।

6. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग बड़े वाहनों जैसे ट्रकों और अन्य वाहनों में किया जाता है। उनका प्राथमिक उपयोग मीथेन गैस को रखने और ले जाने के लिए है जो वाहन इंजन को शक्ति प्रदान करता है। इन जहाजों का उपयोग ऑन रोड और ऑफ रोड वाहनों के लिए ईंधन स्टोर करने के लिए किया जाता है। चूंकि ईंधन तरल रूप में संग्रहीत किया जा रहा है, इंजन में इसका उपयोग करने के लिए, इसे गैसीय रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। रूपांतरण का कार्य उत्पाद में स्थापित हीट एक्सचेंजर की मदद से किया जा रहा है।

टैरिफ वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद टैरिफ वर्गीकरण - 7311 0090 के तहत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में किसी भी तरह से पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में एलएनजी टैंकों की मात्रा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

S.No	प्रस्तावित पीसीएन	पीसीएन कोड
1	200 से 300 लीटर तक	A
2	301 से 500 लीटर तक	B
3	501 लीटर से 750 लीटर तक	C
4	751 लीटर से अधिक	D

9. वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि जिन विषयगत वस्तुओं को भारत में पाटित किए जाने का आरोप लगाया गया है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दो उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को संबंधित देश से आयात किए जा रहे विषय माल के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ग. **<u>विषय देश</u>**

11.वर्तमान जांच में विषय देश **चीन जन. गण.** है।

घ. **<u>जांच की अवधि</u>**

12.आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में 15 महीने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि जुलाई 2023 - जून 2024 को जांच की अवधि के रूप में मानने से आवेदक के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी और यह भी प्रस्तुत किया है कि योग्यता में कोई अंतर नहीं है। दोनों अवधियों के लिए मामला. इसे देखते हुए, प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित POI को वर्तमान जांच यानी 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) के लिए अपनाया गया है। चोट जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और POI की अवधि शामिल है।

ङ. **<u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>**

13.आवेदन आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में विषय वस्तुओं का एक अन्य निर्माता है, जिसका नाम क्रयोगैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा, रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन भारत में इस प्रकार की वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा अनुपात होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने न तो संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं का आयात किया है और न ही संबंधित देश में किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है।

14.रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि आवेदक, अर्थात् आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

च. <u>कथित डंपिंग का आधार</u>

क. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) और एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुलग्नक- 1 के पैरा 7 के संदर्भ में, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जनगण में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पैरा के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमति देती है (ग) चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संबंधित वस्तुओं के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

17. संबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना डीजी सिस्टम्स लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। एक्स-फैक्ट्री स्तरों पर कीमतें बनाने के लिए उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

ग. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी पूर्व स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि डंपिंग माजन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* इस

बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

19. संबंधित देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। विषय देश से विषय वस्तुओं की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से बढ़ी है। पाटित आयातों के कारण मूल्य में कमी और गिरावट आवेदक को पूरी लागत वसूलने और उचित प्रतिफल दर प्राप्त करने के लिए इसके मूल्यों को बढ़ाने से रोक रही है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों की प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण, बाजार हिस्सेदारी, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका कार्य-निष्पादन खराब हो गया है। प्रथम *दृष्टया* इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति के खतरे का सामना करना पड़ रहा है ताकि पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके।

ज. <u>पाटन रोधी जांच की शुरुआत</u>

20. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषय वस्तुओं के पाटन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और चोट के बीच कारणात्मक संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय माल के संबंध में कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है, यदि लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. **प्रक्रिया**

21.इस जांच में एडी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. **जानकारी प्रस्तुत करना**

22.सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- adv13-dgtr@gov.in , consultant-dgtr@govcontractor.in ,dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का कथा भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

23.संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इस पहल अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

24.कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक सबमिशन कर सकती है।

25.प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26.इच्छुक पार्टियों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए www.dgtr.gov.in पर व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप

से डीजीटीआर (https://www.dgtr.gov.in/) की वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे विषय जांच में आगे के विकास से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, और ऐसी अन्य जानकारी के बारे में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें।

ट.<u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी नामित प्राधिकारी को ईमेल पते adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस पर इसे नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यात करने वाले देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

28. सभी इच्छुक पक्षों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

ठ.<u>गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना</u>

29. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देने या गोपनीय निवेदन करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार उसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार हो सकती हैं।

30. प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुतिकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय विवरण अलग-अलग फाइल करने की आवश्यकता होती है।

31. इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

32. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली हो गई है (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

34. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

36. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या गोपनीयता के दावे पर अच्छे कारण के बयान के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड.<u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन / प्रतिक्रियाओं / सूचनाओं के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रियाओं/सूचनाओं के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को गैर-सहकारी माना जा सकता है।

ढ.<u>असहयोग</u>

38. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझती है।

दर्पण जैन
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)